

मौकम सिंह एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1741/2025)

02 अप्रैल 2025

[सुधांशु धूलिया और के. विनोद चंद्रन, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय प्रश्न

क्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें अभियुक्त को धारा 302/34 तथा धारा 323 और 324 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत दी गई सजा और दोषसिद्धि को यथावत् रखा गया, न्यायोचित है.

शीर्ष टिप्पणियां

दंड संहिता, 1860- धाराएं 302, 323, 324, 34 हत्या - प्रत्यक्ष साक्ष्य - उपासना स्थल के स्वामित्व को लेकर अभियुक्तगण और पीड़ितों के बीच शत्रुता - घातक हथियारों से सज्जित अभियुक्तगण-अपीलार्थीगण पीड़ित-दादा के घर आए, उनसे प्रश्न किए जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई जिससे पीड़ित की मृत्यु हो गई और नाती-पोतों को चोटें आईं - अपीलार्थीगण को मानव-वध और नाती-पोतों को आई चोटों के लिए धारा 302/34, 323 और 324 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया और तदनुसार दण्डादिष्ट किया गया - उच्च न्यायालय ने इसे यथावत् रखा - हस्तक्षेप :

अभिनिर्धारित : नहीं बुलाया गया - केवल इसलिए कि साक्षी संबंधी हैं, उन्हें हितबद्ध नहीं कहा जा सकता है - सभी प्रत्यक्ष साक्षीगण मृतक के नाती-पोते थे, इस कारण से उनके परिसाक्ष्य को ग्रहण करने से इनकार नहीं किया जा सकता - सभी चक्षुदर्शी साक्षीगण आहत साक्षीगण थे, जिससे उनका परिसाक्ष्य अधिक विश्वसनीय हो जाता है - चक्षुदर्शी साक्षीगण की सत्यवादिता पर संदेह करने के लिए कुछ भी संदिग्ध नहीं है - इसके अलावा, लड़ाई और प्रत्यक्ष कृत्यों से संबंधित तथ्य इसे धारा 304 भाग II के अंतर्गत अपराध नहीं बनाते हैं और न ही यह धारा 300 के किसी अपराध के अंतर्गत आता है, जिसके परिणामस्वरूप हत्या की

कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के रूप में निष्कर्ष निकलता हो - चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, चोट या तो किसी सख्त व भोथरी वस्तु से या आकस्मिक गिरने से हो सकती है, यह धारा 302 के निष्कर्ष को कम नहीं करती है, विशेष रूप से चक्षुदर्शी परिसाक्ष्य को देखते हुए - अभियुक्तगण द्वारा, उपयोग किए गए हथियार की घातक प्रकृति से आशय स्पष्ट है, जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने पीड़ितों के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार किया और ऐसे हथियारों का इस रीति से इस्तेमाल किया जिससे पीड़ितों को गंभीर चोटें/उपहति कारित हुयी व उनमें से एक की मृत्यु हो गई - साक्ष्य। [पद 5, 6, 13, 14]

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860।

कुंजी शब्दों (कीवर्ड) की सूची

प्रत्यक्ष साक्ष्य; हितबद्ध साक्षी; वैमनस्य का हेतु दोधारी हथियार है; साक्षीगण और मृतक के बीच संबंध; कुल्हाड़ी के उल्टे तरफ से वार; चिकित्सीय साक्ष्य; हथियारों की घातक प्रकृति; आहत साक्षीगण; प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य; आशय; आक्रमणकारी; गंभीर चोटें।

मामला उत्पन्न अंतर्गत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2025 की आपराधिक अपील संख्या 1741

2000 के सीआरएलए संख्या 155 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.01.2018 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण :

विक्रान्त सिंह बैस, नीमा, योगेश तिवारी।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण :

डी.एस.परमार, ए.ए.जी., अभिमन्यु सिंह गा, यशराज सिंह बुंदेला, सुरजीत सिंह, चाणक्य बरहुआ, सलोनी, रोहन सिंगला।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

के.विनोद चन्द्रन, जे.

अनुमति अनुदत्त की गई।

2. अभियोजन कथा के अनुसार, आहतगण में से एक व्यक्ति द्वारा विवादित भूमि पर स्थापित देवता की पूजा करने से नाराज होकर; अभियुक्तगण, उस भूमि पर आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के प्रकोपन पर, हथियारों से लैस होकर मृतक के घर पहुंचे और उनसे इस संबंध में प्रश्न किये, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई और दादाजी की मृत्यु हो गई और तीन पोते-पोतियों को चोटें आईं। एफआईआर में नौ आरोपीगण के नाम थे, लेकिन केवल छह आरोपीगण के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए, जिनमें से एक की कार्यवाही के दौरान मौत हो गई। उनमें से तीन, जो कि अपीलार्थीगण हैं, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323 और 324 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराधों के आरोप विरचित किए गये थे। दो पर धारा 324, 341 और 506 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप विरचित किए गए थे; जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था। तीनों अपीलार्थीगण को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत मानववध के लिए दोषसिद्ध किया गया और प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। उन्हें मृतक के पोते-पोतियों को पहुंचायी गयी चोटों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 सहपठित धारा 34 के तहत भी दोषसिद्ध किया गया और क्रमशः 6 महीने और 1 साल का दण्डादेश अधिरोपित किया गया। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को पुष्ट किया, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया था और दी गई सजा को यथावत् रखा।

3. इस न्यायालय के समक्ष अपील पर, अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विक्रान्त सिंह बैस ने तर्क दिया कि कोई पूर्वचिंतन नहीं था और न ही मृत्यु कारित करने का कोई आशय था; यहां तक कि किसी ऐसी चोट के लगने का दूर-दूर तक ज्ञान नहीं था, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। वास्तव में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य से इंगित होता है कि अभियुक्तगण के पास काटने में सक्षम हथियार थे। हालांकि, मृतक को, उस डॉक्टर के अनुसार, जिसने उसकी पहली बार जांच की थी, कोई कटी हुयी चोट नहीं थी। यह भी कहा गया था कि जिस चोट के कारण मृत्यु हुई, वह आकस्मिक गिरने के कारण हो

सकती है। संपूर्ण परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि यदि अभियुक्तगण को कथित अपराध का दोषी भी पाया जाता है, तो उन्हें केवल धारा 304 के भाग II के तहत ही दोषसिद्ध किया जा सकता है।

4. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यशराज सिंह बुंदेला ने बताया कि आहत साक्षीगण (चक्षुदर्शी साक्षीगण) ने एकमत होकर अपनी बात रखी है कि वह अभियुक्तगण ही थे जिसने पीड़ितों; जिनमें मृतक भी शामिल था, के घर में घुसकर अतिचार किया और उन पर हमला किया था। पीड़ितों की ओर से वास्तव में कोई प्रकोपन नहीं दिया गया था और अभियुक्तगण पूर्वचिंतन कर हत्या कारित करने के आशय से ही घातक हथियारों से लैस होकर मृतक के घर आये थे। मृतक की मृत्यु 25 दिन बाद अस्पताल में हुई, चूंकि मृतक के सिर पर लगे एक ही वार से उसकी मौत हो गई इसलिए इस मामले में, हत्या के अतिरिक्त और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिन अपराधों के आरोप सिद्ध पाए गए हैं, उनके लिए दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और न ही दी गई सजा में परिवर्तन करने का कोई कारण है।

5. हमने संपूर्ण अभिलेख और साक्षियों के अभिसाक्ष्य का अध्ययन किया है। सबसे पहले, हमें यह ध्यान रखना होगा कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, मृतक के पोते-पोतियाँ थे; जिससे उनके अभिसाक्ष्य को स्वतः ही खारिज नहीं किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि, केवल इसलिए कि साक्षीगण आपस में संबंधी हैं, उन्हें हितबद्ध नहीं माना जा सकता, विशेषतः ऐसे मामले में जहाँ प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य हो। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि विवाद जिसमें हाथापाई हुयी, मृतक के घर में हुआ था, जहां पर अभियुक्तगण, स्पष्ट रूप से घर के निवासियों, जिनमें से एक विवादित संपत्ति पर प्रार्थना करने गया था को नुकसान पहुँचाने के आशय से घातक हथियारों के साथ आये थे। यह कि, अ.सा.-4, पडोसी, के अभिसाक्ष्य से साबित होता है विवाद भूमि के संबंध में था, जो शोर सुनकर मृतक के घर गया था। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि अभियुक्तगण और पीड़ितों के बीच उपासना स्थल के स्वामित्व को लेकर शत्रुता थी।

6. प्रतिपरीक्षण के दौरान सामने आए शत्रुता संबंधी उक्त कथन पर हमारा ध्यान गया है, और हम पूरी तरह जानते हैं कि दुश्मनी का हेतु एक दोधारी हथियार है। कथित शत्रुता, परिवादी द्वारा जानबूझकर अभियुक्त को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाने का कारण भी बन सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम साक्षियों के परिसाक्ष्य की सूक्ष्मता से जाँच करें

ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह विश्वसनीय है या साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। मृतक के साथ प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का संबंध महत्वहीन है, क्योंकि आहत के घर के भीतर बाहरी लोगों के होने की संभावना बहुत कम है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण आहत थे, जो उनके परिसाक्ष्य को और अधिक विश्वसनीय बनाता है।

7. अ.सा. 1-3 पोते-पोतियाँ हैं, जिन्होंने प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्तगण द्वारा उनके घर फरसा और लुहांगी (कुल्हाड़ी और काटने में सक्षम हथियार) लेकर आने वाली बात कही। आरोप यह था कि अभियुक्तगण ने मृतक पर वार किए, जिससे उसके मुँह और सिर में चोट आई। अ.सा.-1 ने यह भी अभिकथित किया कि प्रथम अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से उसके भाई, अ.सा. 3 पर वार किया था, जिससे उसके सिर और पैर में चोटें आईं। अ.सा.-1 को भी सिर और हाथ पर मारा गया। अ.सा-11, डॉक्टर, जिसने मृतक और आहतगण की जाँच की, ने अभिसाक्ष्य में बताया कि अ.सा-1 के शरीर पर पाँच चोटें थीं: (i) सिर के दाहिनी ओर कटा हुआ घाव, (ii) और (iii) नाक के दाहिनी ओर खरोंच और कटा हुआ घाव, (iv) दाहिनी बांह पर सूजन और (v) बाएँ घुटने पर नीलगू निशान। यह अ.सा-1 के परिसाक्ष्य के अनुसरण में है। प्रतिपरीक्षण में सामने आया विरोधाभास केवल इतना है कि ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि दोषमुक्त आरोपीगण पन्ना लाल और दशरथ सिंह ने अ.सा-1 और उसके दादाजी की पिटाई की थी, जो कि धारा 161 के कथन में नहीं कहा गया था।

8. अ.सा-2 ने कहा कि प्रथम अभियुक्त ने उसके दादा, मृतक पर कुल्हाड़ी से वार किया और तीसरे अभियुक्त ने काटने में सक्षम हथियार से वार किया। अपनी चोटों के संबंध में, उसने कथन किया कि उनमें से एक अभियुक्त ने काटने में सक्षम हथियार से उसके कंधे पर वार किया और दूसरे ने उसके पैर पर लाठी से वार किया। अ.सा-2 के संबंध में अ.सा-11 का चिकित्सीय साक्ष्य उसके दाहिने कंधे और बाएँ अंगूठे में खरोंच और बाएँ पैर में खरोंच का संकेत देता है; जो उसके अभिसाक्ष्य से मेल खाता है। अ.सा-2 ने यह भी कहा कि मृतक को सभी अभियुक्तगण ने पीटा था और प्रथम अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से वार किया और तीसरे अभियुक्त ने उसे काटने में सक्षम हथियार से मारा। सामने आया विरोधाभास स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसने धारा 161 के अपने कथनों में प्रथम अभियुक्त द्वारा मृतक पर किए गए वार के बारे में नहीं बताया था।

9. मृतक के एक अन्य पोते अ.सा-3, ने विशेष रूप से बताया कि प्रथम अभियुक्त ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से वार किया था और तीसरे अभियुक्त ने भी काटने में सक्षम हथियार से वार किया था। जहां तक उसकी अपनी चोटों का सवाल है, उसने कथन किया कि प्रथम अभियुक्त ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और तीसरे अभियुक्त ने भी काटने में सक्षम हथियार से उसके सिर पर वार किया और दो अन्य अभियुक्तगण ने काटने वाले हथियार से उसके पैर और पीठ पर वार किये। डॉक्टर अ.सा-11, ने बताया कि अ.सा-3 को तीन चोटें आई थीं, (i) दाहिने कान के ऊपर एक कटा हुआ घाव, (ii) दाहिने घुटने के सामने की तरफ खरोंच और (iii) दाहिनी तर्जनी पर खरोंच; जो अ.सा-3 के परिसाक्ष्य को संपुष्ट करता है।

10. हमें यह ध्यान रखना होगा कि अभियुक्तगण द्वारा घातक हथियारों के साथ मृतक के घर आने के बाद हाथापाई हुई थी। सभी तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा उनके पास घातक हथियार होने की बात कही गई है, जिसकी पुष्टि आगे अ.सा-4, पड़ोसी द्वारा की गई कि जिसने अभियुक्तगण के पास कुल्हाड़ी और काटने में सक्षम हथियार होने की बात कही। इसके बाद हुए झगड़े और हाथापाई का भी अ.सा-4 ने कथन किया। थान सिंह; मृतक, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था, को आगे अ.सा-4, द्वारा पुष्टि की गई, जो आहत पीड़ितों के साथ अस्पताल गया था। प्रतिपरीक्षण में उसने विशेष रूप से कहा कि उसने पड़ोसी के घर से महिलाओं के रोने की आवाज सुनी और वहां पहुंचने पर हाथापाई देखी। हम पाते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सत्यता पर संदेह करने के लिए कुछ भी संदिग्ध नहीं है, न तो मुख्य-परीक्षा में और न ही प्रतिपरीक्षा में।

11. घटना में आहत हुए चक्षुदर्शी साक्षीगण; अ.सा-1 से 3 ने मृतक के सिर पर चोट लगने की बात कही। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से बताया कि मृतक के शरीर पर कोई कटने का निशान नहीं था। साक्षियों/अभियुक्त के परिसाक्ष्य के अनुसार, अभियुक्तगण केवल धारदार हथियार रखे थे; मृतक को लगी चोट गिरने से होने की पूरी संभावना है। यह अभियुक्तगण को विमुक्त करता है, विशेषतः डॉक्टर के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, कि घातक चोट गिरने से लग सकती है।

12. डॉक्टर अ.सा-11 के अनुसार, मृतक को दो चोटें आईं; दोनों सिर पर, एक घातक और दूसरी साधारण। दोनों चोटें इस प्रकार हैं:

(i) उसके सिर के बायीं ओर से बायें कान के पास से लेकर खोपड़ी के मध्य तक सूजन फैल गई थी और यह सूजन सिर के पार्श्व क्षेत्र तक भी फैल गई थी और थान सिंह के बायें कान और नाक के दोनों नथुनों से खून बह रहा था और इस चोट की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने थान सिंह की एक्स-रे जांच की सलाह दी।

ii) सिर के सामने और मध्य भाग पर फटा हुआ घाव।

प्रतिपरीक्षण में, डॉक्टर ने अभिसाक्ष्य दिया कि घातक चोट किसी सख्त व भोथरी वस्तु से लग सकती है। यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि घातक चोट आकस्मिक गिरने से भी लग सकती है; जो कि कुल्हाड़ी के उल्टे वार के संबंध में किए गए विशिष्टतः पुष्ट अभिसाक्ष्य के संदर्भ में कोई मायने नहीं रखती। जब हाथापाई होती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि साक्षीगण; विशेषतः तब जब वे हाथापाई में सक्रिय रूप से शामिल थे और खुद भी আহত हुए तो, वे इस बात का बारीक विवरण देंगे कि वार किसने किया, किस हथियार से किया और कैसे किया। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण, जो उसी घटना में घायल हुए थे, ने मृतक; अपने दादाजी के सिर पर वार की बात कही। केवल इस तथ्य से कि अ.सा- 2 और 3 ने धारा 161 के कथन में कुल्हाड़ी से उल्टे वार की बात नहीं कही, उनके प्रत्यक्ष कृत्य के परिसाक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। अंकरण को नज़रअंदाज़ भी कर दिया जाए, तो भी प्रत्यक्ष कृत्य सिद्ध पाया जाता है।

13. यह कि, अभियुक्तगण मृतक के घर पर उनसे विवादित संपत्ति में स्थापित देवता के दर्शन के संबंध में प्रश्न करने के आशय से आये थे, यह साक्षीगण की मौखिक परिसाक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित हो गया है। यह भी स्थापित हो गया है कि अभियुक्तगण घातक हथियारों से लैस होकर घर आये थे, जो स्पष्ट रूप से पूर्वचिंतन और उन को चोट पहुंचाने के आशय की ओर इशारा करता है जिनसे मृत्यु होना संभाव्य थी। झगड़े और प्रत्यक्ष कृत्यों के बारे में तथ्य, जैसा कि परिसाक्ष्य से पता चला है, हमें धारा 304 के भाग II के तहत अपराध को खोजने के लिए प्रेरित नहीं करता है और न ही धारा 300 के किसी अपवाद के अंतर्गत आता है; जिसके परिणामस्वरूप हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का निष्कर्ष निकलता हो। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, उपहति/चोट या तो सख्त व भोथरी वस्तु से व्यक्ति द्वारा या आकस्मिक गिरने के कारण आ सकती है जो धारा 302 के तहत निष्कर्ष को कम नहीं करता है, विशेष रूप से प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य पर विचार करते हुए; (i) अभियुक्तगण का घातक हथियारों के साथ पीड़ितों के घर आना, (ii) उसके बाद हुई तकरार

और लड़ाई और (iii) अभियुक्तगण के प्रत्यक्ष कृत्य, मृतक और पीड़ितों के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट का होना, (iv) मृतक और प्रत्येक आहत साक्षीगण अ.सा-1 से 3 पर चोट के संबंध में चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई। मृतक को पहुंचाई गई घातक चोट सिर पर वार करने से आई थी; शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से वार किया गया था। इस प्रकार, अभियुक्तगण द्वारा ले जाए गए हथियारों की घातक प्रकृति से आशय स्पष्ट है, जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने पीड़ितों के घर में प्रवेश कर अतिचार किया और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं; जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। डॉक्टर की परिसाक्ष्य के अनुसार, सिर पर वार करने से लगी चोट की गंभीरता निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद मृत्यु का कारण बनी।

14. हमें अभियुक्तगण की दोषसिद्धि और दी गई सज़ा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थीगण, यदि जमानत पर हैं, तो इस आदेश के दो सप्ताह के भीतर सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करें; ऐसा न करने पर सत्र न्यायालय उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उचित कदम उठाएगा ताकि उनसे दी गई सजा भुगतवाई जा सके।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

अनुवादक - सुरभि अग्रवाल